

बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, नौ आरोपी गिरफ्तार

चोरी और लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी

मेड़ता सिटी, (निसं)। मेड़ता समीपवर्ती ग्राम कुरडाया गांव में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में नागौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी और लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने महिला के जागने पर उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। नागौर पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड का खुलासा किया।

एसपी ने बताया कि इस मामले में मेड़ता सिटी डीएसटी और मेड़ता थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले ही अपराधिक मामलों में लिप्त रह चुके हैं। नागौर एसपी ने बताया तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और लोकल



ग्राम कुरडाया में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इंटेलिजेंस के आधार पर इन आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि बुजुर्ग महिला ब्याज का काम करती थी और गांव में यह चर्चा थी कि उसके पास बड़ी राशि रखी हुई है। इसी को ध्यान

में रखते हुए गांव के कुछ युवकों ने जोधपुर से अपराधियों को बुलाकर चोरी और लूट की योजना बनाई। वारदात वाली रात बदमाशों ने योजना के अनुसार घर में घुसकर महिला से पैसे लूटने की कोशिश की, लेकिन

महिला के जागने पर आरोपियों ने बुजुर्ग महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

नागौर पुलिस अधीक्षक ने इस सफल खुलासे के लिए मेड़ता डीएसटी और थाना पुलिस टीम की

■ **बुजुर्ग महिला ब्याज का काम करती थी और गांव में यह चर्चा थी कि उसके पास बड़ी राशि रखी हुई है**

सराहना की है और कहा कि इस केस में आगे की पूछताछ के बाद और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। डीएसटी और मेड़ता पुलिस को बड़ी सफलता मिलने पर मेड़ता नागरिकों द्वारा नागौर पुलिस अधीक्ष नारायण राम टोंगस, मेड़ता वृताधिकारी रामकरम मल्लोडा, मेड़ता थानाधिकारी धर्मेश दायमा के साथ महेंद्र, अनीश, अशोक, नरेश, कालू राम, कमल, नरसी राम किलक सहित पुलिस के सिपाहियों और अधिकारियों का माला पहनकर अभिनंदन किया।

एम्स अस्पताल में बच्चे के परिजन ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ा

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार किया

जोधपुर, (कासं)। शहर के एम्स चिकित्सालय में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट के साथ हाथपाई और मारपीट किए जाने का प्रकरण सामने आया है। आरोपी डॉक्टर से उलझा और मारपीट करने के साथ जूनियर रेजिडेंट को थप्पड़ जड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मरीज के परिजन को शांतिभंग में गिरफ्तार किए जाने के साथ उसके खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न किए

जाने का प्रकरण दर्ज किया है। बासनी थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि नागौर जिले के कुचेरा स्थित करमसीत का रहने वाला धनराज पुत्र चंपालाल अपने बच्चे के इलाज के लिए एम्स चिकित्सालय आया था। 16 जुलाई की रात में वह एक्स-रे की लाइन में खड़ा था और काफी देर तक नंबर नहीं आने पर वह बीच में घुसने का प्रयास करने लगा था, साथ ही वहां द्यूटी पर कार्यरत

जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर निखिल से उलझने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया। जूनियर रेजिडेंट का आरोप है कि मरीज के परिजन ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। थानाधिकारी दवे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर निखिल ने राजकार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एएसआइ धनाराम की तरफ से की जा रही है।

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2023 साक्षात्कार के सातवें चरण एवं सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती, 2023 के अंतर्गत गणित विषय के द्वितीय चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है।

आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती, 2023 के तहत सातवें चरण के साक्षात्कार का आयोजन 4 से 21 अगस्त 2025 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। इस भर्ती

हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन-पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। सहायक आचार्य गणित के साक्षात्कार का द्वितीय चरण- सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के अन्तर्गत गणित विषय के पदों हेतु द्वितीय चरण के साक्षात्कार का आयोजन भी 4 से 21 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को

प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उक्त भर्तियों के सहित संबंधित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में पिता गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निसं)। एक पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी का शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी की मां की ओर से पंजाब के एक शहर में पुलिस को दिए गए परिवाद पर दर्ज जीरो नंबरी एफआईआर थाने पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। सदर एसएचओ सुभाषचंद्र ने पीड़िता किशोरी के बयान, मेडिकल जांच और मजिस्ट्रेट बयानों के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। एसएचओ सुभाष चंद्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी ने दो शादियां की हुई हैं। यह पीड़िता पहली पत्नी से जन्मी हुई है। पीड़िता के एक बड़ी बहन भी हैं जिसकी शादी की हुई है। पीड़िता की मां ने आरोपी को तलाक दे रखा है और पंजाब के एक शहर में रहती है। पीड़िता किशोरी 15 साल 10 माह की है। उसने बयानों में बताया कि 25-26 जून की रात को उसके पिता ने शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया। उस रात घर में इनके अलावा कोई नहीं था। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने एफआईआर और बयानों में बताया कि रात को उसके पिता ने दूध में कोई नशा मिलाया हुआ था। दूध में कड़वाहट दूध पीने के आधे से घंटे बाद पीड़िता अचेत हो गई। सुबह उठने पर पता चला कि उसके साथ रात में गलत हुआ है। पिता ने धमकाया

■ **पीड़ित किशोरी की मां की ओर से पंजाब के एक शहर में पुलिस को दिए गए परिवाद पर दर्ज जीरो नंबरी एफआईआर थाने पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ**

तो पीड़िता डर के मारे घबराकर चुप रह गई। अपनी बुआ को आपबीती बताई तो मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता की मां पंजाब से श्रीगंगानगर आई और अपनी बेटी को साथ लेकर अपने ससुराल चली गई। वहां पीड़िता को उसकी मां बाल कल्याण समिति के ऑफिस लेकर गई। समिति की महिला सदस्यों ने किशोरी से बातचीत कर जानकारी जुटाई। इसके बाद पंजाब के शहर के थाने में भेजकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। पंजाब के थाने से जीरो नंबरी एफआईआर एसपी ऑफिस होते हुए थाने पहुंची। यहां तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता और उसकी मां को थाने बुलाकर पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए। आरोपी पिता पर आरोप प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया।

परीक्षा का कार्यक्रम जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को बरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 2024 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) का विषयवार विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 7 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर 2025 तक चलेंगी। आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा के सुगम संचालन के दृष्टिगत 8 विषयों को 4 गुणों में बांटा गया है। ग्रुप-ए में सामाजिक विज्ञान, ग्रुप-बी में हिंदी, ग्रुप-सी में विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा ग्रुप-डी के अन्तर्गत गणित, अंग्रेजी एवं पंजाबी विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्रुप-ए 7 सितंबर को प्रातः 10 से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान तथा दोपहर 3 से 5.30 बजे तक सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो वहीं ग्रुप-बी 8 सितंबर 2025 को प्रातः 10 से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान तथा दोपहर 3 से 5.30 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार ग्रुप-सी 9 सितंबर को प्रातः 10 से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान तथा दोपहर 3 से 5.30 बजे तक विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 10 सितंबर को प्रातः 10 से 12.30 बजे तक संस्कृत एवं 3 से 5.30 बजे तक उर्दू विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसी तरह ग्रुप डी, 11 सितंबर को सामान्य ज्ञान तथा गणित विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।



अजमेर में शुक्रवार को हुई मौसलाधार बरसात से बाढ़ जैसे हालात हो गए। बरसात से शहर की कई कॉलोनिंग, सड़क मार्ग जलमग्न हो गये तो वहीं खाजा साहब की दरगाह परिसर में पानी भर गया। तेज बरसात के बाद स्टेशन रोड पर पानी भर गया।

सीकर जिले में 94356 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा

सीकर। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाये ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के

संबंध में निर्धारित मापदण्ड: परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि

जीवीकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल है। जिला रसद अधिकारी सीकर विजेंद्र पाल ने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिव अप अभियान में आज तक सीकर जिले में 94356 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है।

बरसाती पानी में डूबने से दो बहनों की मौत

बीकानेर, (निसं)। कोलायत में बरसाती पानी में डूबने से दो बहनों की मौत हो गई। तीसरी बहन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सकी। घटना देर रात की है। कोलायत हॉस्पिटल में शवों का पोस्टमार्टम हुआ।

एसएसआई जय सिंह के अनुसार चक कन्या बंधा निवासी बंवरदास चारण की तीन बेटियां शाम को बरसात के बाद गांव के पास पानी में खेलते हुए नहा रही थी। खेलते-खेलते सरला (9) और अंबनी (6) गहरे पानी में फिसल गई। गड़वा इतना गहरा था कि दोनों डूबने लगीं। तीसरी बहन ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी ने दौड़कर गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। घटना की सूचना पर तहसीलदार पूनम कंवर, जिला परिषद सदस्य मोहनदास चारण, मंडल सरपंच प्रतिनिधि शिव मेघवाल, छैलूदान, जेठूदान, लखनदान सहित कई लोग पहुंचे। मर्ग दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जा रही है। हादसे की पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस से बातचीत की। परिवार

के प्रति संवेदना व्यक्त की। विधायक अंशुमान सिंह भाटी और पूर्व प्रधान जयवीर सिंह भाटी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांडस बंधाया। साथ ही प्रशासन से आवश्यक मदद व दिशा-निर्देश दिए हैं।

युवती से दुष्कर्म

खाजूवाला, (निसं)। एक चक में 16 साल की युवती से दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता और उसके पिता की तरफ से खाजूवाला थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाजूवाला निवासी राहुल पृथ्वी ने युवती के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया। 14 जुलाई की रात को युवती के घर पहुंचा। वह युवती के साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तभी घर वालों की आंख खुली तो वह मौके से फरार हो गया। घरवालों ने पीछा किया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।

छात्रा को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने पर सरकारी टीचर एपीओ

आसींद/भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालासेरी में सरकारी शिक्षक द्वारा कक्षा दसवीं की छात्रा को वीडियो कॉल पर बात करने के मैसेज भेजे गए। लगातार सरकारी शिक्षक द्वारा परेशान करने पर पीड़ित छात्रा ने अभिभावकों को शिकायत की। शिक्षक की करतूत सुनकर छात्रा के परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल को शिकायत की। इस पर प्रिंसिपल ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसींद को घटना से अवगत कराया। सीबीईओ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपल की शिकायत पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर अनिल कुमार शर्मा ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक लखनलाल शर्मा को आदेशों की प्रतीक्षा में (एपीओ) करते हुए मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा कर दिया और इस संबंध में जांच प्रारंभ कर दी है। छात्रा ने बताया कि विद्यालय के



शिक्षक लखनलाल शर्मा।

शिक्षक लखनलाल शर्मा को मूलतः चुरू जिले के निवासी हैं, के द्वारा व्हाट्सएप पर बात करने के मैसेज किए गए और लिखा कि एक बार प्लोज वीडियो कॉल करो तथा इंस्टाग्राम पर

बात करने जैसे मैसेज किया जा रहे हैं। पीड़ित छात्रा ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग की नींद खुली और आरोपी शिक्षक लखन लाल

■ **मैसेज में लिखा कि प्लोज समझा करो एक बार वीडियो कॉल कर दो**

■ **लगातार सरकारी शिक्षक द्वारा परेशान करने पर पीड़ित छात्रा ने अभिभावकों को शिकायत की**

को जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा ने एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए। जानकारी के अनुसार इससे पूर्व भी इसी पीईईओ क्षेत्र में अध्यापक कंवरलाल एवं कर्मचारी लीला द्वारा की गई अश्लील हरकतों की जांच करवाने के संदर्भ में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा की जांच प्रक्रियाधीन है। क्षेत्र में हो रही राजकीय विद्यालयों में इस तरह की अश्लील गतिविधियों तथा घटनाओं के कारण क्षेत्र में रोष है तथा क्षेत्रवासियों ने शिक्षण मंदिर में हो रही इस तरह की घटनाओं पर प्रशासन से कार्रवाई करने का अपील की है।

डोडा-पोस्ट केस में तीन को कठोर कारावास

नसीराबाद, (निसं)। नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित डोडा-पोस्ट तस्कारी प्रकरण में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्धदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई वर्ष 2016 में झड़वासा गांव के पास हाइवे पर की गई नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए बड़े मादक द्रवार्थ के जखीरे के संबंध में हुई।

प्रकरण के अनुसार, प्रशिक्षु आईपीएस तेजस्विनी गौतम ने सदर थाना पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी के दौरान एक कार और ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान दोनो

■ **चौधे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी किया**

वाहनों से कुल 904 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्ट बरामद किया गया था। मौके से हरियाणा निवासी भजनलाल, सुखविंदर और जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 बर्गहो और 41 दस्तावेजों को न्यायालय

में प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी द्वारा प्रस्तुत सशक्त तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन मीणा ने तीनों आरोपियों भजनलाल, सुखविंदर और जितेंद्र को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, चौधे आरोपी लाल सिंह को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने दोषमुक्त कर बरी कर दिया। यह निर्णय मादक पदार्थ तस्कारी के विरुद्ध सख्त कानूनी रुख का उदाहरण है और क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि ऐसे अपराधों को किसी भी सूत्र में बख्शा नहीं जाएगा।

Municipal Board Of Bagru (Jaipur)		
क्रमांक:— न.पा.नं./2024-25/411	दिनांक:— 18.07.2025	
:: E- Notice Inviting Bid ::		
Bid for Municipal Board Of Bagru For Works (01) Date 18.07.2025 invited form Interested bidders Date 27.07.2025 Upto 6:00 AM Other particulars of the bid may be invited on the procurement portal, http://eproc.rajasthan.gov.in , http://sppp.rajinic.in of the state.		
UBN CODE :-DLB2526WSOB11580		
राज.संवाद/सी/24/6489	Executive officer	

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. HINDAUN		
File No. 1101-1109	Date: 08.07.2025	
Notice Inviting Bid		
Bid (E-NIT No. 03/2025-26) for "Road, Building Repair & Maintenance Work, Water Tank & Flood Restoration Work" are invited from Registered & Interested bidders up to 6:00 PM on 21.07.2025 procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in , http://sppp.rajinic.in) of the state departmental website may be Visited for Other Details of Bid. The approximate value of the procurement is Rs. 87.52 lacs.		
NIB No. PWD2526A1811 UBN No. 1. PWD2526WSRC06468, 2. PWD2526WSRC06470, 3. PWD2526WSRC06471, 4. PWD2526WSRC06472, 5. PWD2526WSRC06473, 6. PWD2526WSRC06474, 7. PWD2526WSRC06475		
(Lalit Kumar Meena) Executive Engineer PWD Division Hindaun		
DIPR/C/9742/2025		

प्राप्त से दो की से न त ग धीन न ल न त्रा	कार्यालय नगर निगम जोधपुर- दक्षिण पोस्टल-डिविजन कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर फोन संख्या :- 0291-2651491 हेल्पलाइन :- 0291-2651473 e-mail:- nij@rediffmail.com क्रमांक:- सं./एम्-15/कार्य/2025/RL-15992 दिनांक:- 17.07.2025 ई- निविदा सूचना क्रमांक RL-15986 दिनांक 17.07.2025 UBN No. DLB2526WSOB11572 जोधपुर नगर निगम दक्षिण द्वारा इच्छुक कार्यो के अनुभवी/ योग्यताधारी, डिजिटल विद्युत लाईसेन्सधारी संवेदको, नगर निगम में पंजीकृत नियमानुसार E-EWSD श्रेणी संवेदको, अन्य विभाग में पंजीकृत E-EWSD-I ऑन-लाईन ई टेंडर प्रक्रिया से निगम शर्तों के अधीन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा के कार्यो, योग्यता, शर्तों की सम्स्त जानकारी वेबसाइट पर www.eproc.rajinic.in अथवा www.sppp.rajinic.in अथवा https://lsr.rajjasthan.gov.in/CMSJS पर देखी जा सकती है। राज.संवाद/सी/25/6450 आयुक्त नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)	प्राप्त से दो की से न त ग धीन न ल न त्रा
---	--	---

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त बीकानेर

Email ID-sephedbn@gmail.com

Contact No. 0151-2226454

क्रमांक-3841

दिनांक-09.07.2025

बोली सूचना संख्या 04/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निर्धारित कार्य हेतु मोहरद निविदा आमंत्रित की जाती है। इस कार्य का निविदा प्रश्न वेबसाइट <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर दिनांक 10.07.2025 को दोपहर 06.00 बजे से दिनांक 24.07.2025 को सायं 06.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है तथा दिनांक 25.07.2025 को दोपहर 01.00 बजे उपस्थित निविदादा अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष ऑनलाइन <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर खोली जायेगी। निविदा प्रश्न में शुल्क, घरखर राशि ई-चालान के रूप में निविदा प्रश्न में वर्णित पत्र में देय हो, जमा करनी होगी। निविदा प्रश्न विधायीय वेबसाइट www.sppprajasthan.gov.in एवं <http://eproc.rajjasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्य की राशि 122.54 लाख है। शर्त सहित निविदा मान्य नहीं होगी। एक द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

UBN NO. PHE2526WSOB04476

जल सीमित है, इसकी बचत करें।

(रघुचंद निवारिया)

अधीक्षण अभियन्ता

जन स्वा. अभि विभाग

वृत्त बीकानेर

DIPR/C/9822/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, बाड़ी पला-बाईवास किला बाड़ी-328021 फोन नं. 05647-274684 ई-मेल- ee.pwdbari@rediffmail.com
क्रमांक-02 दिनांक-10.07.2025

निविदा सूचना संख्या-01/2025-2026

(NIB-PWD2526A1865)

(UBN-PWD2526WSOR06669, PWD2526WSOR06670)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से बाड़ी जिला वृत्तपुर में कुल 2 नं. पर सड़क कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदको, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/हाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रश्न में ई-प्रोक्यूमेंट निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.eproc.dipronline.org, <http://www.pwd.rajjasthan.gov.in/>, www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

(प्ररुन सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता

स नि वि खण्ड बाड़ी

DIPR/C/9820/2025

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर

मृदंग सिनेमा के सामने, श्रीनगर रोड हिस्सेन्स के पास, वाट बीचला, अजमेर

दूरभाष नं. 0145-2422449, ई-मेल:- eemhajmer@gmail.com

क्रमांक-ई.ई./अजमेर/25/486 दिनांक-11.07.2025

निविदा सूचना संख्या-13/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राशि 508.60 लाख के आठ (8) करोड़ों के राज्यपाल महोदय की ओर से बाड़ी जिला वृत्तपुर में कुल 2 नं. पर सड़क कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदको, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/हाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रश्न में ई-प्रोक्यूमेंट निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.org, <http://eproc.rajjasthan.gov.in> व आधिकारिक वेब साईट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।

UBN No. 1. NRH2526WSOB00698, 2. NRH2526WSOB00699, 3. NRH2526WSOB00700, 4. NRH2526WSOB00701, 5. NRH2526WSOB00702, 6. NRH2526WSOB00703, 7. NRH2526WSOB00704, 8. NRH2526WSOB00705

अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर

DIPR/C/9895/2025

कार्यालय नगरपालिका रामगढ-शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
बाईपास न्यू बस स्टैण्ड रोड, Ph-1571240246 rangarh.jaipur@gmail.com

क्रमांक:- न.पा.रा./ 25-26/ 2245 दिनांक :- 17.07.2025

निविदा सूचना 08/2024-25

नगरपालिका रामगढ शेखावाटी द्वारा समेत श्रेणी मे पंजितल संवेदको से मोहर बन्द निविदाये (ई-प्रोक्वेस्टिंग) ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है। टेण्डर ऑनलाईन <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर प्राय की जाके जाकर ऑन लाईन ही जमा कराने होत। निविदा सम्पन्नित सम्पूर्ण विवरण राय लोक उपग्रह पोर्टल (<http://sppp.ra.raj.in>), <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर NIB Code DLB2526A3619 Bid Title / (UBN) DLB2526WSOB11475, DLB2526WSOB11474, DLB2526WSOB11475, DLB2526WSOB11483, DLB2526WSOB11478, DLB2526WSOB11481, DLB2526WSOB11485, DLB2526WSOB11488, DLB2526WSOB11490, DLB2526WSOB11493, DLB2526WSOB11500, DLB2526WSOB11502, DLB2526WSOB11503, DLB2526WSOB11504, DLB2526WSOB11507, DLB2526WSOB11509, DLB2526WSOB11514, DLB2526WSOB11518 पर देखी जा सकती है।

नोट:- निविदा में RTI/PA Act 2012 & Rules 2013 के नियम लागू होंगे।

अधियाणी अधिकारी
राज.संवा./ सी / 25/ 6393 नगरपालिका रामगढ (सीकर)